

श्री 6 शिक्षा का महत्व (Importance of Adult Education).

किसी भी व्यक्ति या किसी भी राष्ट्र को निरक्षरता का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ना है।

निरक्षरता व्यक्ति की प्रगति और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक गंभीर बाधा है। शिक्षा केवल स्कूल चढ़ाई के साथ समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि बौद्धिक प्रक्रिया कार्य स्थिति में और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों (In life situations) में चलती रहती है।

श्री 6 शिक्षा के महत्व और आवश्यकता पर स्वामी विवेकानन्द ने इस प्रकार कहा, "जब तक लाखों लोग अक्षर हैं तथा अज्ञानी हैं, मैं हर उस व्यक्ति को जो उनके स्वयं पर पढ़ता है, किन्तु उनकी ओर ध्यान नहीं देता, गद्धार मानता है। हमारा सबसे बड़ा पाप यह है कि हम जनता की शिक्षा की उपेक्षा करते हैं और यही हमारी अवनति का कारण है। जब तक भारत की जनता अच्छी प्रकार शिक्षित नहीं हो जाती, अच्छी प्रकार पैद नहीं भरती और जब तक एक उसकी अच्छा प्रकार देखभाल नहीं होती तक तक राष्ट्रीय प्रयत्न व्यर्थ हैं।"

अनपढ़ता और अज्ञानता मानसिक दासता है और उसे दुःखों से भरे बिना हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। डॉ. ए. पी. के. आर. वी. राव ने सन् 1964 में भारतीय श्रौढ़ शिक्षा की सिलवर जुबली के अवसर पर कहा था कि अशिक्षा मानसिक दासता है और यदि हमें मानसिक दासता से दुःखों से भरे बिना आजाद होना है तो हमारी आर्थिक दासता भी समाप्त हो जानगी और तब हम वास्तव में स्वतंत्र बन सकेंगे - जिसकी ओर से हमें स्वतंत्रता संग्राम किया और अन्त में 1947 में सफलता प्राप्त की।

श्री 6 शिक्षा में साक्षरता को प्रथम चरण समझना चाहिए। इस विचारधारा पर बार-बार जल दिया गया है उसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वीकार किया गया। अफ्रीकी राज्यों का सम्मेलन 1961 में, जो उद्दीप्त अबाबा में हुआ, जहाँ शिक्षा विकास

के लिए इसे अपनाया गया और कहा गया कि जौड़ शिक्षा का उद्देश्य लिखने-पढ़ने और संख्या की जानकारी से अधिक होना चाहिए। ऐसे 0% के विद्यार्थियों को ही सही-सही स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें जीवन से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए।

जौड़ शिक्षा की समस्याएँ

(Problems in Adult Education)

जौड़ शिक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख समस्याएँ अथवा बाधाएँ निम्नांकित हैं —

1. निरक्षरता (Illiteracy): — जनगणना, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का केवल 74.04 प्रतिशत ही साक्षर है जिसमें स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत और भी कम है। स्पष्ट है कि निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत काफी अधिक है, जिसे साक्षर बनाना एक कठिन कार्य है।

(2) अध्यापकों का अभाव (Lack of Teachers): — जौड़ का मानसिक स्तर बालक व किशोर के मानसिक स्तर से भिन्न होता है। अतः प्रशिक्षित अध्यापकों का होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में अनुभवहीन अध्यापक जौड़ शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकते। जौड़ों की शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापकों का अभाव भी एक बड़ी समस्या है।

(3) पाठ्यक्रम की समस्या (Problem related to Curriculum)
जौड़ शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षाशास्त्री एकदम नहीं हैं। बालकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को जौड़ों के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। इस प्रकार अपूर्ण एवं अनुपयुक्त पाठ्यक्रम के कारण भी जौड़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकी है।

(4) शिक्षण प्रणाली की समस्या (Problem related to Teaching Method): — बालकों का मानसिक विकास अधिक न होने के कारण उनको हम सरलता से एक ही शिक्षण प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान कर सकते हैं किन्तु जौड़ों को वैसे प्रकार प्रदान दुबकर है। मानसिक परिपक्वता के कारण वे किसी भी बात को सत्य ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे।

(5) मिथ्यता (Poverty): — हमारे देश में निरक्षर जौड़ों

की एक बड़ी संख्या है जिसे साक्षर बनाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है जबकि भारत जैसे देश के लिए यह संभव नहीं है। यही कारण है कि जौड़ शिक्षा की गति अत्यंत धीमी है।

(6) उत्तरदायित्व की समस्या (Problem of Responsibility):

एक बड़ी समस्या जौड़-शिक्षा के उत्तरदायित्व से संबंधित है। केंद्रीय सरकार ने जौड़-शिक्षा का समस्त उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंप दिया है। कि इस निर्णय के कारण कई बार जौड़ शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है।

(7) समाज-सेवकों का अभाव (Lack of social workers):

अर्थात् समाज-शिक्षा या जौड़ शिक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर रहता है किन्तु वास्तव में यह कार्य समाज सेवक या सेवक ही कर सकते हैं। किन्तु देश में ऐसे समाज सेवकों का पूर्णतया अभाव है।

जौड़ शिक्षा कार्यक्रम

(Programmes of Adult Education)

देश में जौड़ शिक्षा से सम्बंधित निम्नलिखित कार्यक्रमों का आरम्भ किया गया है -

(1) ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट (Rural

Functional Literacy project): - सन् 1978

में आरम्भ इस प्रोजेक्ट में दो कार्यक्रम आरम्भ किए गए

थे - (1) ग्रामीण साक्षरता योजना (2) अनौपचारिक शिक्षा -

15 से 25 वर्ष की आयु तक।

(2) नेहरू युवक केंद्र (Nehru Yuvak Kendra): - 1948

से राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा यह केंद्र स्थापित किए गए।

(3) महिलाओं और छात्राओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा

(Non formal Education for women and Girls): -

यह कार्य वृत्तियेक द्वारा चलाया जा रहा है।

(4) श्रमिक विद्यापीठ (Shramik Vidhyapeeth): - वर्ष-

बड़े शहरों में श्रमिक विद्यापीठों द्वारा भी जौड़ शिक्षा

केंद्र चलाए जाते हैं।

(5) छात्रों और युवाओं द्वारा जौड़ शिक्षा (Adult Education

through student and youth): - अध्यापकों के द्वारा